

न्यायालय नायब तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या ०५/१८/१८ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

बनाम

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हल्का आमरी

श्री जनकशिव पुत्र श्री फलपतकिट
जाति उज्ज्वल निवासी आमरी
तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

"निर्णय"

दिनांक 23.10.18

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उपस्थिति ।
पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का आमरी
ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने मौका आमरी
के खसरा नम्बर २०० रकबा ३५.११ बीघा में से १०.११ बीघा किस्म ब/सी राजकीय
भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के
अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज
रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस
तामिल होकर प्राप्त हुआ / गैरसायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिपोर्ट अनुसार
अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर
गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के
आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णाक का 50 गुणा जुर्माना राशि
रूपये 50 अक्षर पञ्चास रूपये रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल
से वसूल हो।

पटवारी हल्का आमरी को आदेशित किया जाता है कि वह मौके
पर गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण
पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी. आर .ए ,पटवारी हल्का , निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर .ए
के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 23.10.18 को सरेआम सुनाया गया।

जुमाना 50 फसल नि. nil
कुल योग 50 जि.के पृष्ठ सं 13
वर्ष 2018-19 में इन्द्राज किया गया :


तहसील राजस्व लिखाकार


नायब तहसीलदार
गडरारोड़ /
नायब तहसीलदार गडरारोड़